HAMIRPUR POLICE

METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से छेड़खानी करने वाले 02 अभियुक्त को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व 34,000/-रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई”

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे **ऑपरेशन कन्विक्शन** अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना **कोतवाली नगर** में पंजीकृत **मु0अ0सं0-13/2019 धारा–354,452,506 आईपीसी व 8 पॉक्सो एक्ट** में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय **विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट** जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण **1.अरविंद 2. राजा पुत्रगण शंकर श्रीवास** निवासीगण मोहल्ला गौरा देवी थाना कोतवाली नगर,जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 05-05 वर्ष का कठोर कारावास व 34,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

	अभियोजक- एडीजीसी रुद्रप्रताप सिंह		विवेचक- उ0 नि0 रणजीत बहादुर		पैरोकार- थाना कोतवाली नगर का0 रजनीश यादव